संख्या- 7/2020/बी-2- 62/दस-2020

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 18 मार्च, 2020

विषय- प्रदेश सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से नगरीय निकायों के देयताओ के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प से नगरीय निकायों के देयताओ के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 में प्रावधानित धनराशि रूपये 200.00 करोड़ **(रूपये दो सौ करोड़ मात्र**) निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग प्रदेश के नगर निकायों में प्रकाश एव जलकर के विद्युत देयों का भुगतान उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को करने के लिये किया जायेगा ।
(2) धनराशि का उपयोग उसी मद के लिये किया जायेगा जिसके लिये धनराशि अवमुक्त की जा रही है ।
(3) धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में कर लिया जायेगा ।
(4) उक्तानुसार निर्धारित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/ मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी,जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगें। यदि शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो, सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जायेगी ।

2- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 के लेखाशीर्ष ''2217- शहरी विकास-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04-राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से नगरीय निकायों की देयाताओं का भुगतान-42-अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

संख्या-7 /2020/बी-2- 62/दस-2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
5- नगर विकास अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन।
6- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।